

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी : श्री ताराचन्द्र

विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा - 251 "क" रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 12/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुनारु जारी की गई
	<p>दिनांक : 15.06.2023</p> <p>पत्रावली प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प आमली में तलब की गई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल फाईल रहे। रेकार्ड पर लिया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 6101/3131 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 3131 में से उत्तरी दिशा में होकर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता 0.0070 हेक्टेयर (30X25 फीट) होकर डीएलसी दर 9,10,483/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 6,374/- रुपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम उसर दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: : आदेश : :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 6101/3131 रकबा 1.6187 हेक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 3131 रकबा 2.4200 हेक्टेयर मे से 0.0070 हेक्टेयर (30X25 फीट) भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 9,10,483/- अक्षरे नौ लाख दस हजार चार सौ तरासी रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0070 हेक्टेयर (30X25 फीट) की कुल कीमत 6,374/- का दुगुना 12,748/- रूपयें अक्षरे बारह हजार सात सौ अडतालीस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

